UPRN010032412026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1

कानपुर देहात

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1229/2026

1. गोपाल सक्सेना उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र दीपक सक्सेना उर्फ दीपू निवासी ग्रा रकाबगंज खुर्द थाना मउ दरवाजा जनपद फर्रूखाबाद।

–––––––अभियुक्त।

प्रति

उ 0 प्र 0 सरकार द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर देहात।

मुकदमा अ 0 सं0–130/2025

धारा–305(ए),317(2) व 317(4) बी0 एन 0 एस 0

थाना–अरौल जिला कानपुर नगर।

दिनांक– 22–6–2026

प्रार्थी/अभियुक्त गोपाल सक्सेना की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अ 0 सं0–130/2025 धारा–305(ए), 317(2) व 317(4) बी0 एन 0 एस 0 थाना–अरौल जिला कानपुर नगर में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन है कि वादिनी मुकदमा कामिनी कटियार के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर थाना अरौल जिला कानपुर नगर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी कि वह हसौली गाजीगंज की निवासिनी है जो कि इस समय विगत वर्ष मार्ग दुर्घटना होने पर पति का स्वर्गवास होने के बाद यहां की प्रताड़ना सहने के बाद अपने मायके में ग्राम नसिरापुर में रहने पर मजबूर हुई। आज रात दिनांक 28.7.2025 को उसे उसके देवर रंजीत ने सूचना दी कि उसकी मोटर साइकिल यू0 पी0–78–एच 0 जे0/8074 और उसकी अल्मारी का लाकर तोड़कर एक दस ग्राम की सोने की चैन, एक मंगलसूत्र व तीन अंगूठी व पायल चोरी हो गयी है। उसे इन्हीं लोगों पर शक है।

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है। उसे झूठा मुल्जिम बनाया गया है। घटना दिनांक 28.7.2025 की दर्शायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन बाद अज्ञात में दर्ज कराई गयी है। वादिनी ने झूठ व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर मुकदमा कायम कराया है। प्रार्थी/अभियुक्त को

थाना हाजा पुलिस द्वारा घर से जबरन उठाकर थाने में बंद कर दिया तथा दिनांक 7.8.2025 को झूठी व फर्जी बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से किसी भी वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस द्वारा एक पीली धातु की अंगूठी की बरामदगी झूठी एवं फर्जी दिखाई गयी है। सह अभियुक्तों की जमानत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 7.8.2025 से जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का प्रबल विरोध करते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त व उसके अन्य साथियों के पास से चोरी हुआ माल बरामद हुआ है, जिसका पर्याप्त साक्ष्य है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उ0प्र0 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।।

पत्रावी के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मु0अ0सं0 130/2025 के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात अभियुक्त के द्वारा वदिनी के ससुराल ग्राम हसौली काजीगंज थाना अरौल से उसके देवर की मोटर साइकिल, वादिनी की एक सोने की मंगलसूत्र, तीन अंगूठी, पायल चोरी करने तथा अभियुक्त से एक पायल बरामद किए जाने का कथन किया गया है। मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नामित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त इस अपराध में दिनांक 7.8.2025 से जेल में हैं तथा सह अभियुक्त की जमानत होना कहा गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किए हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त **प्रार्थी/अभियुक्त गोपाल सक्सेना** का उपरोक्त मामले में उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 50,000/– रूपये की दो जमानते व इसी धनराशि के निजी बंध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(**रजत सिन्हा**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1
कानपुर देहात।
आई0डी0–यू0पी0–6042

Digitally signed by RAJAT SINHA
Date: 2026.06.22 16:00:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court